झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक विविध याचिका संख्या **40/2024**

1. यूसुफ खान, आयु- लगभग 40 वर्ष, पिता-सिद्दीकी खान, बेलाल नगर, चितरपुर, डाकघर- चितरपुर, थाना- राजरप्पा परियोजना, जिला -रामगढ़
2. नरगिस निगार, आयु- लगभग 36 वर्ष, पति- मिन्हाज खान, गाँव- चितरपुर, बेलाल नगर, डाकघर- चितरपुर, थाना- राजरप्पा परियोजना, जिला- रामगढ़
3. मिन्हाज खान, आयु- लगभग 39 वर्ष, पिता- सिद्दीक खान, गाँव- बेलाल नगर, चितरपुर, डाकघर- चितरपुर, थाना- राजरप्पा परियोजना, जिला- रामगढ़

याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. तरन्नुम निगार, आयु- लगभग 32 वर्ष, पति- यूसुफ खान, बेलाल नगर, चितरपुर, डाकघर- चितरपुर, थाना- राजरप्पा परियोजना, जिला- रामगढ़

विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए : श्री. प्रतीक सेन, अधिवक्ता

राज्यके लिए : श्री. विनीत कुमार वशिष्ठ,विशेष लोक अभियोजक

विरोधी पक्ष2के लिए : श्री. आदित्य कुमार झा, अधिवक्ता

श्री सौरव कुमार, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वाराः- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें राजरप्पा थाना मामले

संख्या.24/2016 के संबंध में 30.10.2016 को पारित आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और निरस्त करने की प्रार्थना की गई है, जो जी.आर.संख्या.245/2016 के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत विद्वत उपप्रभागीय- न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ ने भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 323, 498A, 34 और दहेज निषेध अधिनियम की धाराएँ 3/4 के तहत अपराध के लिए प्राइम फेसी मामला पाया है और उक्त मामला अबविद्वत उपप्रभागीय- न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ की अदालत में लंबित है।

3. याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता और प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के लिए अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से इस न्यायालय का ध्यान अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 560/2024 की ओर आकर्षित किया है, जिसे याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 तथा प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के सूचनाकर्ता द्वारा अलग-अलग हलफनामों के माध्यम से समर्थन किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पक्षों ने भविष्य की संभावनाओं के मुद्दे पर, जिसमें प्रभाव और लाभ दोनों शामिल हैं, काफी समझदारी से विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के बीच विवाद को इस मामले की लंबित अवधि के दौरान सुलझाना बेहतर होगा। पक्षों ने शुभचिंतकों और निकट संबंधियों की मध्यस्थता में एक समझौते में प्रवेश किया है और समझौते के सन्दर्भ में, सूचक अथवा वादी संख्या 2 इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 और याचिकाकर्ता संख्या 1 ने अपना वैवाहिक जीवन फिर से शुरू कर लिया है और वे अपने दो बच्चों के साथ एक सुखद वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विवाद मूल रूप से पक्षों के बीच वैवाहिक असहमति के कारण था और इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच विवाद मूल रूप से एक निजी विवाद है और इसमें कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं है। याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए, इस आपराधिक कार्यवाही का निरंतरता कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा क्योंकि समझौते को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं की सजा की संभावनाएँ बहुत कम और धुंधली हैं।इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जिसमें राजरप्पा पी एस.संख्या . मामला24/2016 के संबंध में 30.10.2016 को पारित आदेश शामिल है, जो जी. आर.संख्या. 245/2016 के अनुरूप है और जो अब विद्वत उपप्रभागीय- न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ की अदालत में लंबित है, इसे रद्द और निरस्त किया जाए।

4. राज्य के लिए उपस्थित विशेष लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच समझौते के दृष्टिगत, राज्य को संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में कोई आपत्ति नहीं है,

जिसमेंराजरप्पा पीएस..मामला संख्या 24/2016 के संबंध में 30.10.2016 को पारित आदेश शामिल है, जो अब विद्वत उपप्रभागीय- न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ की अदालत में लंबित है।

5. बार में की गई प्रतिकूल प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद, यह उल्लेख करना उचित है कि भारत के माननीय सर्वोच्चन्यायालय ने मामले परबतभाई आहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई कर्मूर एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य में)**2017) 9** एससीसी में पक्षों के बीच समझौते के आधार पर उच्च न्यायालय की अधिकारिता पर विचार करने का अवसर प्राप्त किया और पैरा संख्या 11 में निम्नलिखित निर्णय दिया:

11. धारा 482 एक सर्वोच्च प्रावधान के साथ शुरू होती है। यह अधिनियम उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को बचाता है, जो एक उच्च न्यायालय के रूप में आवश्यक आदेश देने की अनुमति देता है (i) किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए; या (ii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए। गियान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी 303 : (2012) 4 एससीसी (नागरिक) 1188 : (2013) 1 एससीसी (आपराधिक) 160 : (2012) 2 एससीसी (एल एंड एस) 988] में, इस न्यायालय के तीन विद्वत न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस विषय पर पूर्व निर्णयों के संग्रह का उल्लेख किया और मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए जिन्हें उच्च न्यायालय को अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए एफआईआर या शिकायत को रद्द करने के निर्णय में विचार करना चाहिए। उच्च न्यायालय के समक्ष विचार करने वाले पहलू हैं: (एससीसी पृष्ठ 342-43, पैरा 61)

> *61... उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही या एफआईआर या शिकायत को अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए रद्द करने की शक्ति, धारा 320 के तहत आपराधिक अदालत को अपराधों को समझौता करने के लिए दी गई शक्ति से भिन्न और अलग है। अंतर्निहित शक्ति व्यापक होती है और इसमें कोई कानूनी सीमा नहीं होती, लेकिन इसका प्रयोग उस शक्ति में निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात् (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, या (ii) किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। उन मामलों में शक्ति का प्रयोग आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या एफआईआर को रद्द करने के लिए किया जा सकता है जहां अपराधी और पीड़ित ने अपना विवाद सुलझा लिया है, यहप्रत्येक मामले की तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती। हालांकि, इस शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर उचित*

ध्यान देना चाहिए। मानसिक विकृति के घृणित और गंभीर अपराधों या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराधों को पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद सुलझा लिया हो, तो भी उचित ढंग से रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे अपराधों का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, पीड़ित और अपराधी के बीच विशेष अधिनियमों जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों या सार्वजनिक सेवकों द्वारा अपनी क्षमता में किए गए अपराधों के संबंध में कोई समझौता आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए आधार प्रदान नहीं कर सकता।<u>लेकिन आपराधिक मामले जो प्रबल रूप से और प्रमुखता से नागरिक स्वरूप के होते हैं, रद्द करने के लिए एक अलग स्थिति में होते हैं, विशेष रूप से वे अपराध जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, नागरिक, साझेदारी या इसी तरह के लेनसे उत्पन्न होते हैं या दहेज आदि से संबंधित देन-विवाह से उत्पन्न अपराध या पारिवारिक विवाद जहां गलती मूलतः निजी या व्यक्तिगत प्रकृति की होती है और पक्षों ने अपना पूरा विवाद सुलझा लिया है।</u>इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसकी राय में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, सजा की संभावना दूरस्थ और धुंधली है और आपराधिक मामले को जारी रखना आरोपी को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का कारण बनेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण सुलह और समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द न करके उसे अत्यंत अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना अन्याय होगा या न्याय के हितों के खिलाफ होगा या क्या आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, बावजूद पीड़ित और गलती करने वाले के बीच सुलह और समझौते के और क्या न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्न(नों) का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी अधिकारिता के दायरे में होगा।"(जोर दिया गया)

6. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि इस मामले में शामिल अपराध जघन्य अपराध नहीं हैं और न ही इस मामले में मानसिक विकृति का कोई गंभीर अपराध शामिल है, बल्कि इस मामले में शामिल अपराध पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद से संबंधित हैं।

7. अपराधियों और पीड़ित के बीच पूर्ण समझौते के कारण, याचिकाकर्ताओं को दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम और निराशाजनक है और आपराधिक मामले को जारी रखने से याचिकाकर्ताओं को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उनके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।

8. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें जी. आर. संख्या245/2016के अनुरूप 2016 के राजरप्पा थाना मामला संख्या24/2016 के संबंध में पारित आदेशदिनांकित 30.10.2016 सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही, जो अब विद्वत उपप्रभागीय- न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ की अदालत में लंबित है,जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध किया गया है, को रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।

9. तदनुसार, जी. आर. संख्या 245/2016 के अनुरूप राजरप्पा थाना मामलासंख्या 24/2016के संबंध में पारित आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही, जो अब विद्वत उपप्रभागीय- न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ की अदालत में समाप्त हो रही है, को रद्द कर दिया जाता है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ खारिज कर दिया जाता है।

10. परिणामस्वरुप, इस आपराधिक विविध याचिका की अनुमति है।

11. इस आपराधिक विविध याचिका के निपटान को ध्यान में रखते हुए, अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 560/2024का तदनुसार निपटान किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक 24 जनवरी, 2024

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|